पर्चा डिक्री

यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

करण सं0 : 30/2025

नवान :

सुरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी किराड़ा छोटा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. महावीर दतक पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी किराड़ा छोटा तहसील भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी किराड़ा छोटा तहसील भादरा।
3. मानिका पुत्री महावीर जाति जाट निवासी किराड़ा छोटा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामचन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किराड़ा छोटा के खाता सं0 11/17 के ख0सं0 155 की 3.5030 है0, खसरा संख्या 156 की 1.063 है0, खसरा संख्या 169 की 2.3140 है0, खसरा संख्या 287 की 1.6190 है0, खसरा संख्या 288 की 1.3660 है0, खसरा संख्या 52 की 5.1350 है0, खसरा संख्या 53 की 3.8320 है0, खसरा संख्या 58 की 2.3140 है0 कुल 21.1460 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 महावीर के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 महावीर अकेले की बजाय वादी सुरेन्द्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 महावीर व प्रतिवादी संख्या 2 सुरेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.03.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:18:53 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 30/2025

उनवान :

सुरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी किराड़ा छोटा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. महावीर दतक पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी किराड़ा छोटा तहसील भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी किराड़ा छोटा तहसील भादरा।
3. मोनिका पुत्री महावीर जाति जाट निवासी किराड़ा छोटा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**

वकील श्री रामचन्द्र बैनीवाल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा

निर्णय

दिनांक : 18.03.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा किराड़ा छोटा के खाता सं0 11/17 के ख0सं0 155 की 3.5030 है0, खसरा संख्या 156 की 1.063 है0, खसरा संख्या 169 की 2.3140 है0, खसरा संख्या 287 की 1.6190 है0, खसरा संख्या 288 की 1.3660 है0, खसरा संख्या 52 की 5.1350 है0, खसरा संख्या 53 की 3.8320 है0, खसरा संख्या 58 की 2.3140 है0 कुल 21.1460 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 महावीर के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में सुरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति जाट निवासी किराड़ा छोटा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी [illegible] खाता संख्या 11/17 सम्वत 2076—79 प्रदर्श 1, जमाबंदी ग्राम किराड़ा[illegible] संख्या 23/24 सम्वत 2048 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पं[illegible] करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:18:53 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने [illegible] के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृ[illegible]मि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम किराड़ा छोटा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा किराड़ा छोटा के खाता सं0 11/17 के ख0सं0 155 की 3.5030 है0, खसरा संख्या 156 की 1.063 है0, खसरा संख्या 169 की 2.3140 है0, खसरा संख्या 287 की 1.6190 है0, खसरा संख्या 288 की 1.3660 है0, खसरा संख्या 52 की 5.1350 है0, खसरा संख्या 53 की 3.8320 है0, खसरा संख्या 58 की 2.3140 है0 कुल 21.1460 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 महावीर के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 महावीर अकेले की बजाय वादी सुरेन्द्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 महावीर व प्रतिवादी संख्या 2 सुरेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किराड़ा छोटा के खाता सं0 11/17 के ख0सं0 155 की 3.5030 है0, खसरा संख्या 156 की 1.063 है0, खसरा संख्या 169 की 2.3140 है0, खसरा संख्या 287 की 1.6190 है0, खसरा संख्या 288 की 1.3660 है0, खसरा संख्या 52 की 5.1350 है0, खसरा संख्या 53 की 3.8320 है0, खसरा संख्या 58 की 2.3140 है0 कुल 21.1460 है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 महावीर के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 महावीर अकेले की बजाय वादी सुरेन्द्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 महावीर व प्रतिवादी संख्या 2 सुरेश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.25..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:18:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner